अपील सूचना अधिकार संख्या 112/2020 (RCMS 2020/00185) हरचन्द पुत्र श्री ख्यालीराम निवासी ग्राम पोस्ट राजपुरा पिपेरन, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर – 335804 <u>बनाम</u> मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>29.09.2020</u>

शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्रांक एफ4(367) सू.अ./पंरावि/2020/505 दिनांक 10.07.2020 निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण कर लेने तक अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया है।

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हरचन्द स्वयं उपस्थित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में श्री विपिन उपनेजा उपस्थित हुए और जवाब पेश किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन पत्र दिनांक 24.06.2020 प्रस्तुत करके **लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर से तीन बिन्दुओ** की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए अपीलार्थी ने वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करवाई जाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री हरचन्द ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.06.2020 प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

1. प्रसंगिक प्रकरण में सम्पूर्ण जांच संबंधी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ
2. प्रसंगिक प्रकरण में सक्षम स्तर से जारी आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
3. वसूली योग्य राशि की जमा पश्चात रसीदों की कार्यालय प्रति की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।

लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक जिपग/स्था/सू.अ./6316 दिनांक 23.07.2020 से अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर दिया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि आपके आवेदन की सूचना डाक खर्च 10रू. एवं प्रतिलिपि शुल्क 4रू. कुल 14रू. शुल्क जमा करवाकर डाक से प्राप्त कर सकते है।

लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक जिपग/स्था/सू.अ./ 6452 दिनांक 13.08.2020 से अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर दिया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा आवेदन पत्र में चाही गई सूचना की प्रमाणित प्रति भिजवाई जा रही है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक जिपग/स्था/सू.अ./6720 दिनांक 22.09.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि श्री हरचन्द भांभू द्वारा सूचना का अधिकार के तहत इस कार्यालय में दिनांक 02.07.2020 के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत ग्राम पंचायत राजपुरा पिपेरन द्वारा निर्मित गुणवत्ताहीन सीसी सड़क की निर्माण कार्य की गुणवत्ता संबंधी हुई पुनः जांच की प्रति चाही गई थी।
>
> इस हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 6336 दिनांक 23.07.2020 के द्वारा आवेदक द्वारा आवेदन में चाही गई सूचना दिये जाने हेतु डाक खर्च एवं प्रतिलिपि शुल्क जमा करवाने हेतु लिखा गया, तत्पश्चात आवेदक श्री हरंचद भांभू द्वारा दिनांक 10.08.2020 को पोस्टल ऑर्डर के मार्फत प्रतिलिपि शुल्क इस कार्यालय में जमा करवाया गया था। जिसके संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक 6542 दिनांक 13.08.2020 के द्वारा सूचना की प्रमाणित प्रति संबंधित को जरिये डाक भिजवाई जा चुकी है।
>
> (प्रति संलग्न)
>
> लोक सूचना अधिकारी एवं
> मुख्य कार्यकारी अधिकारी
> जिला परिषद्, श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जा चुकी है, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर